मैनुअल–3

विनिष्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं

1. शपथ विधि समारोहः–

मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रिमंडल सदस्यों का शपथ विधि समारोह राजभवन अथवा महामहिम की इच्छानुसार अन्य स्थल पर आयाजित किया जाता है।

समारोह में आमंत्रण पत्र राजभवन से समन्वय स्थापित कर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ही जारी किये जाते हैं, जिसमें राजभवन द्वारा निम्न व्यवस्थायें की जाती हैं:–
सचिवालय प्रशासन विभाग से यह ज्ञात किया जाता है कि वे उक्त समारोह में कितने व्यक्तियों को आमंत्रित कर रहे हैं।

आमंत्रितों को निश्चित स्थल पर बैठाने का दायित्व सचिवालय प्रशासन के अधिकारी, जिला प्रशासन तथा मंत्री परिषद (गोपन) द्वारा नियुक्त सचिवालय के अधिकारी का होता है। राजभवन के अधिकारियों द्वारा भी इसमें सहयोग दिया जाता है।

मुख्यमंत्री के शपथ की स्थिति में महामहिम राज्यपाल महोदय जुलूस के रूप में समारोह स्थल पर आते हैं। आगे एक जमादार दण्ड लिये हुए उसके पीछे दो चोबदार मध्य में महामहिम राज्यपाल तथा दोनों ओर परिसहाय, पीछे मुख्य सचिव, राज्यपाल के सचिव रहते हैं। स्थल पर महामहिम के स्टेज पर आसन ग्रहण के उपरान्त मुख्य सचिव द्वारा कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति ली जाती है एवं महामहिम से शपथ दिलाने की प्रार्थना की जाती है। महामहिम द्वारा मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। शपथ के उपरांत मुख्यमंत्री शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। कार्यक्रम का प्रारम्भ व समापन राष्ट्रगान से होता है।

मंत्रिमंडल की शपथ विधि समारोह की प्रक्रिया भी लगभग समान ही है। मंच पर महामहिम के आसीन होने के उपरांत मुख्य सचिव द्वारा राज्यपाल महोदय से कार्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति व शपथ दिलाने की प्रार्थना करते हैं। तदुपरांत मंत्रिमंडल के सदस्यों को सामूहिक शपथ अथवा उपयुक्त संख्या के समूह में शपथ दिलायी जाती है। सम्पूर्ण सदस्यों को शपथ दिलाने के पश्चात स्वल्पाहार की व्यवस्था राजभवन की ओर से होती है।

2. उत्तराखण्ड के प्रधान न्यायाधीश/लोकायुक्त/ प्रोटेम स्पीकर/ आयोगों के अध्यक्ष के शपथ विधि समारोह :–

उत्तरांचल के मुख्य न्यायाधीश/लोकायुक्त/प्रोटेम स्पीकर/आयोगों के अध्यक्ष के शपथ विधि समारोह महामहिम के ऑफिस लॉन/दरबार हाल/सभागार में स्थिति अनुसार आयोजित किये जाते हैं। इन सभी आयोजनों में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारी को शपथ दिलाई जाती है। जिसकी प्रकिया मंत्रिमंडल के शपथ विधि के अनुसार ही परन्तु संक्षिप्त रूप से होती है। शपथ विधि के उपरांत स्वल्पाहार राजभवन की ओर से होता है।

मुख्यमंत्री की नियुक्ति का नमूना

प्रिय श्री..........................

आप उत्तराखण्ड विधान सभा में ....के नेता चुने गए हैं, जिसके लिए मेरी हार्दिक बधाई।

विधान सभा में बहुमत प्राप्त पक्ष के नेता के नाते मैं आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री नियुक्त करता हूँ तथा मंत्रीमंडल का गठन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित।

भवदीय,

(..........................)
राज्यपाल, उत्तराखण्ड

श्री................................
....

मंत्री की नियुक्ति का नमूना

प्रति,

....
....

महोदय,

मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर आपको उत्तराखण्ड शासन में मंत्री नियुक्त करते हुए मुझे बहुत खुशी है। शपथ ग्रहण दिनांक................को...................राजभवन में ....बजे होगा। कृपया पत्र की पावती भेजें।

(..........................)
राज्यपाल, उत्तराखण्ड

राज्य मंत्री की नियुक्ति का नमूना

प्रति,

....
....

महोदय,

मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर आपको उत्तराखण्ड शासन में राज्य मंत्री नियुक्त करते हुए मुझे बहुत खुशी है। शपथ ग्रहण दिनांक................को...................राजभवन में ....बजे होगा।

कृपया पत्र की पावती भेजें।

(..........................)
राज्यपाल, उत्तराखण्ड

मुख्यमंत्री पद की शपथ का नमूना

मैं ....ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं उत्तराखण्ड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्त्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा

मुख्यमंत्री गोपनीयता की शपथ का नमूना

मैं ....ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय उत्तराखण्ड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिये लाया जायेगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्त्तव्यों के उचित निर्वहन के लिये ऐसा कराना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।

प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस पर राजभवन में निम्नानुसार स्वागत समारोह की व्यवस्था की जायेगी :-

26 जनवरी एवं 15 अगस्त के अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में आमंत्रित करने के लिये प्रतिष्ठित नागरिक/अधिकारीगण/मंत्रिगण/सांसद/विधायकगण/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आदि को महामहिम की ओर से आमंत्रण पत्र भेजे जायेंगे। इसके लिये सचिव श्री राज्यपाल से परामर्श के पश्चात् परिसहाय श्री राज्यपाल द्वारा समारोह के एक माह पूर्व ही आमंत्रितों की सूची अद्यतन तैयार कर ली जायेगी। आमंत्रण पत्रों के विधिवत प्रेषण हेतु लगभग 15 दिवस पूर्व सचिव श्री राज्यपाल के परामर्श के पश्चात् परिसहाय कार्यालय द्वारा प्रेषित किये जायेंगे।

प्रातः के कार्यक्रम

राजभवन के समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य गणमान्य आगंतुकों की उपस्थिति में राज्यपाल महोदय द्वारा राजभवन में ध्वजारोहण किया जाता है। ध्वजारोहण के समय राज्यपाल महोदय जुलूस के रूप में ध्वजारोहण स्थल पर आते हैं। जुलूस में आगे-आगे दो चोबदार, बीच में राज्यपाल महोदय एवं उनके दांये बांये दोनों ए.डी.सी. तदुपरान्त उनके पीछे सचिव श्री राज्यपाल रहेंगे। ध्वजारोहण के साथ ही पुलिस बैण्ड द्वारा राष्ट्रधुन बजाई जायेगी तथा विशेष सशस्त्र बल की सलामी गारद सलामी देगी। इस कार्यक्रम के उपरान्त मिष्ठान वितरण होता है।

उपर्युक्त अवसरों पर राजभवन में उपयुक्त व गरिमामय विद्युत साज सज्जा की जायेगी। यह विद्युत साज सज्जा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एवं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व से ही की जायेगी।

सायं के कार्यक्रम :–

दोनों अवसरों पर सायं 5 बजे राजभवन के मुख्य लॉन में स्वागत समारोह का आयोजन किया जायेगा। गणतंत्र दिवस स्वागत समारोह में स्वल्पहार व्यवस्था हेतु लगभग 500 से 1000 अतिथियों की सामन्यतः व्यवस्था की जाती है, व्यवस्था सामान्यतः केटरर/होटल से कराई जाती है जो कि महामहिम/सचिव के निर्देशानुसार स्वीकृत किया जा सकेगा। स्वतंत्रता दिवस का समारोह बारिश की स्थिति में राजभवन हॉल में आयोजित किया जायेगा। स्वतंत्रता दिवस के आमंत्रितों की संख्या प्रतिवर्ष निश्चित की जाती है।

लॉन में सामान्यतः लगभग 5 काउंटर (आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा) तैयार किये जायेंगे। जिसकी देख रेख राजभवन के अधिकारियों/कर्मचारियों की एक टीम करेगी। यह टीम यह भी सुनिश्चित करेगी कि समारोह में कितनी प्लेट्स उपयोग हुई हैं एवं खाद्य सामग्री की पूर्ति लगातार हो रही है। लॉन में एक छोटा शामियाना महामहिम व विशिष्ट अतिथियों के लिये लगता है।

स्वागत समारोह में महामहिम राज्यपाल महोदय जूलूस में पैदल चलकर मुख्य भवन से लॉन में प्रवेश करेंगे। महामहिम के आगे दोनों परिसहाय होंगे तथा महामहिम के पीछे सचिव, समूह में साथ में आयेंगे। महामहिम के मुख्य लॉन में निर्धारित स्थान पर आते ही पुलिस बैण्ड द्वारा राष्ट्रगान की धुन बजायी जायेगी। बैण्ड सेना या पुलिस बल का होगा, इसका समन्वय सुरक्षा अधिकारी करेंगे। यह बैण्ड पार्टी जो प्रायः 2.–25 सदस्यों की होती है लॉन अथवा उपयुक्त स्थल में बैठेगी। इनके स्थान परिवर्तन, महामहिम राज्यपाल के सचिव के निर्देशानुसार किया जा सकेगा।

राष्ट्रगान होने के बाद, विशिष्ट शामियाने में राज्यपाल के पहुंचने पर उपस्थित अतिथियों में जलपान हेतु आग्रह किया जायेगा। समारोह लगभग 1 घण्टे का होता है। समारोह का समापन राष्ट्रगान की धुन से होता है।

स्वागत समारोह में जिला प्रशासन, नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग भी लिया जाता है जिस हेतु निम्न पत्र जारी किये जाते हैं:–

- कलेक्टर, देहरादून को समारोह के दौरान कानून व्यवस्था।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को कानून व्यवस्था एवं ट्रैफिक व्यवस्था हेतु।
- मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून को परिसर की साफ सफाई एवं पानी की व्यवस्था हेतु।
- राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी को स्वागत समारोह में अतिथियों का स्वागत करने हेतु।
- लोक निर्माण विभाग को राजभवन की सडकों की मरम्मत एवं भवनों की पुताई हेतु।
- परिसहाय श्री राज्यपाल द्वारा पी.ए.सी./आर्मी बैण्ड बुलाये जाने के सम्बन्ध में।
- निदेशक उद्यान को गमलों एवं फूलों की सजावट के लिये।

महामहिम श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य से सम्बद्ध सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं। कुलाधिपति के दायित्वों में कुलपति की नियुक्ति तथा शासन से अनुमोदित विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध विद्यालयों में पाठ्यक्रमों को स्थाई/अस्थाई सम्बद्धता भी महामहिम कुलाधिपति द्वारा दी जाती है।

उत्तराखण्ड राज्य में महामहिम श्री राज्यपाल के नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालयों की सूची एवं कार्यरत कुलपति :–

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	कुलपति का नाम	नियुक्ति की तिथि
01	कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल	प्रो0 डी0के0 नौरियाल	01.04.2017
02	गो.ब.पं. कृषि एवं प्रो. विश्वविद्यालय पंतनगर	डा. तेज प्रताप	16.10.2018
03	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून	प्रो. वी. के. सिंह	12.10.2018
04	दून विश्वविद्यालय देहरादून	डॉ. चन्द्रशेखर नौटियाल	01.02.2018
05	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हलद्वानी	प्रो0 डी0के0 नौरियाल	17.07.2018
06	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय	डॉ0 पीयूष कान्त दीक्षित	01.03.2016
07	उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून	प्रो0 अभिमन्यु कुमार	16.12.2017
08	उत्तराखण्ड वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार	प्रो0 राजेश भल्ला	26.09.2018
09	श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाही थौल	डॉ0 यू0 एस0 रावत	17.12.2012
10	हे.न.ब. मेडिकल एडुकेशन विश्वविद्यालय, देहरादून	प्रो. हेम चन्द्रा	07.10.2018
11	आवासीय विश्वविद्यालय अल्मोड़ा	प्रो0एच0एस0 धामी	01.11.2016

अनुदेशिका एवं अभिलेख :–

1. राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार अधिनियम, 1987)
2. उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2..3
3. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 से 5
4. उत्तराखण्ड भविष्य निधि नियमावली, 2..6
5. बजट मैनुअल एवं उ.प्र. मुद्रण एवं लेखन सामग्री नियमावली।
6. उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य)

उक्त के अतिरिक्त न्याय, कार्मिक एवं वित्त विभाग से समय–समय पर शासनादेशों का अनुपालन भी किया जाता है।